

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट**  
**(पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबडा)**

आप. प्रक. क.-980 / 2013  
संस्थित दिनांक-29.10.2013  
फा.नं.-234503000232013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

रमजान खान पिता नूर खान, उम्र 22 साल,  
साकिन पोण्डी (महाराजपुर) थाना महाराजपुर,  
जिला-मण्डला (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक 03/10/2017 को घोषित)**

**01—** आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354(घ) 506(बी) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-28.08.2013 को दिन के 9:00 बजे बैहर में फरियादी जकिया फातिमा जो कि एक स्त्री है, उससे व्यक्तिगत अन्नोनकिया को आगे बढ़ाने के लिये फरियादी द्वारा अस्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी बार-बार पीछा किया और संपर्क करने का प्रयास किया एवं फरियादी को भयभीत करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

**02—** संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 29.09.13 को 12:00 बजे प्रार्थिया जाकिया फातिमा ने थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि रिपोर्ट किये जाने की दिनांक से लगभग एक माह पूर्व से लगातार आरोपी रमजान खान उससे शादी करने की ज़िद कर रहा है तथा पिछले एक माह से अपनी दीदी के घर बैहर में आकर रहने लगा है। उसके मलाजखण्ड स्कूल आने-जाने के दौरान जिस बस में वह बैठती थी, उसी बस में रमजान आ जाता था। उससे बात करने की एवं शादी करने की ज़िद करता था। एक बार मलाजखण्ड बस स्टेण्ड में साथ चलने से मना करने पर रमजान ने उसे चाटा मारा तथा धमकी दिया कि यदि शादी नहीं की तो उसे उठवा लेगा, चेहरे में तेजाब डाल देगा, बदनाम कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान

आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत-मुचलका पर रिहा किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने से चालान क्र. 131/13 दिनांक 27.10.13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354(घ), 506(बी) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत जाकिया फातिमा ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506(बी) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354(घ) के शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक-28.08.2013 को दिन के 9:00 बजे बैहर में फरियादी जाकिया फातिमा जो कि एक स्त्री है, उससे व्यक्तिगत अन्नोनक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये फरियादी द्वारा अस्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी बार-बार पीछा किया और संपर्क करने का प्रयास किया ?

#### सकारण निष्कर्ष :-

**05-** परिवारी जाकिया फातिमा (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी शाम के समय की है। आरोपी रमजान उसकी मम्मी के चाचा का लड़का है, आरोपी रमजान से उसकी शादी की बात चल रही थी। उसने रमजान से शादी करने से मना कर दिया था। इस बात से आरोपी रमजान खान ने बस में आकर उसे परेशान किया था। आरोपी रमजान उसके स्कूल आते-जाते समय पीछा कर उसे परेशान करता रहता था और उससे शादी करने की धमकी देता था। उसने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु थाना बैहर में रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशादेही पर मौका नक्शा प्रपी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रमजान खान आते-जाते उसका पीछा करता था और उसके साथ अश्लील हरकते करता था, आरोपी से उसने शादी करने से मना किया तो

आरोपी ने उसे तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दिया था, आरोपी ने उसे यह भी धमकी दी थी कि यदि वह उससे शादी नहीं करेंगी तो उसे उठाकर ले जायेगा, आरोपी उसके घरवालों को भी धमकी देता था कि यदि शादी नहीं करवाई तो उन्हें बर्बाद कर देगा, पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसके प्रपी-03 के ए से ए भाग के कथन लिए थे।

**06—** परिवारी जाकिया फातिमा (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपी रमजान को पहले से जानती है तथा उससे उसकी पहले से बोलचाल थी, इसी कारण वह उससे बातचीत करता था, आरोपी रमजान खान उसका रिश्तेदार होने के कारण उससे बातचीत करता था। आरोपी व उसके बीच घरवालों की मर्जी से प्रेम संबंध था, आरोपी अपने घरवालों के साथ उनके घर आना जाना करता था, उस बीच भी आरोपी से उसकी बातचीत होती थी, आरोपी की हरकतें ठीक न होने के कारण उसके घरवालों ने उससे शादी कराने के लिए मना कर दिया था, आरोपी और उसके परिवार के बीच आपसी समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, आरोपी से वह शादी नहीं करना चाहती थी और आरोपी उसे पसन्द नहीं था, इसलिए उसने आरोपी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखाई थी।

**07—** साक्षी नफीसा खान (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है, जो उसके चाचा का लड़का है। आहत जाकिया उसकी लड़की है। घटना वर्ष 2013 सितम्बर माह की है। आरोपी का पहले से उसके घर पर रिश्तेदारी होने के कारण आना जाना था। उसे उसकी लड़की ने बताया था कि जब वह ट्यूशन एवं बस से स्कूल जाती है, तो आते-जाते समय आरोपी उसे परेशान करता था और कहता था कि उससे शादी नहीं करोगी तो वह उसपर तेजाब डाल देगा और उसे उठवा लेगा एवं उसे और घरवालों को परेशान कर बर्बाद कर देगा और वह कहीं शादी नहीं होने देगा। पहले आरोपी से उसकी लड़की की रिश्ते की बात चल रही थी, तो वह लोगो ने आरोपी की हरकत ठीक नहीं होने के कारण तथा बच्ची छोटी है, कहकर मना कर दिया था। दो बार आरोपी ने उसकी लड़की को चांटा मारा था, जिसे उसकी लड़की ने उसे घर पर बताया था और आरोपी बात करने के लिये दबाव देता था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वर्तमान में भी आरोपी उसकी लड़की को परेशान करता है।

**08—** साक्षी नफीसा खान (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसके मोबाईल पर भी फोन करता था, रिश्तेदारी होने के कारण वह आरोपी को अपनी लड़की जाकिया फातिमा से बात करा देती थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान दी थी वह पढ़कर नहीं देखी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को आरोपी के द्वारा उसकी बेटी को चांटा मारने का दिनांक अपने कथन में नहीं बताया था। साक्षी के कथन अनुसार दो-तीन बार आरोपी ने चांटा मारा था। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसे उसकी लड़की जाकिया ने ट्यूशन और स्कूल जाते समय आरोपी के द्वारा परेशान करने वाली बात नहीं बताई थी, उसे उसकी लड़की ने यह भी नहीं बताया था कि आरोपी उसपर तेजाब डाल देगा, उठवा लेगा और उसे तथा उसके घरवालों को परेशान कर बर्बाद कर देगा, आरोपी ने कभी जाकिया को चांटा नहीं मारा, उसे आरोपी रमजान पसंद नहीं था, इसलिये उसने उसके विरुद्ध झूठी शिकायत करवायी थी, उसे इस बात की जानकारी थी कि आरोपी एवं प्रार्थी के बीच में प्रेम संबंध था। साक्षी के कथन अनुसार आरोपी से उसकी लड़की की शादी की बात पहले चलती थी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह आरोपी से उसकी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहती थी, इसी कारण उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करवायी थी।

**09—** फरियादी जकिया फातिमा अ.सा.01 एवं साक्षी नफीसा खान अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी और उसके परिवार के बीच आपसी समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी जकिया फातिमा अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी जकिया फातिमा जो कि एक स्त्री है, उससे व्यक्तिगत अन्नोनकिया को आगे बढ़ाने के लिये फरियादी द्वारा अस्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद भी बार-बार पीछा किया और संपर्क करने का प्रयास किया। अतः आरोपी रमजान खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354(घ) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया



जाता है।

10- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सही / -  
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट